

फर्ड अहकाम
अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

विवेक धाकड़ बनाम उप महानिरीक्षक (स्टाम्प व मुद्रांक) भरतपुर

किरम मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
16.10.2019	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त विवेक धाकड़ पुत्र श्री भोलाराम निवासी ग्राम गोठरा तहसील वैर की अपील उपमहानिरीक्षक (स्टाम्प व मुद्रांक) भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील अतिरिक्त उपमहानिरीक्षक (स्टाम्प व मुद्रांक) भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत अतिरिक्त उपमहानिरीक्षक (स्टाम्प व मुद्रांक) भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लोटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील महानिरीक्षक (स्टाम्प व मुद्रांक) अजमेर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p>	